




हिमाचल प्रदेश सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
(Application for Giving Up Subsidized Ration)



I, _____ W/o/ D/o S/o Sh. _____

resident of Village/Ward No. _____ Post Office _____

Teh. _____ Distt. _____ along with my family members

mentioned in Ration Card No. voluntarily surrender all subsidized

ration admissible to me and my family members under Targeted Public Distribution System and State Special

Subsidized Scheme from the month of _____ and shall also not claim the same in future. None of

my family members has any objection in surrendering the subsidized ration.

Place: _____

(_____)

Signature of Ration Card holder

Date:

Aadhaar Number

Mobile Number

Name & Code No. of Fair Price Shop

FPS_ID

(अनुदानित राशन स्वेच्छापूर्वक अभ्यर्पण करने बारे आवेदन)

में _____ पत्नी/सुपुत्री/सुपुत्रश्री _____ निवासी गांव/

वार्ड _____ डाकघर _____ तहसील _____ जिला _____

अपने परिवार के सदस्यों सहित जिनका राशन कार्ड क्रमांक,

स्वेच्छा से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा राज्य विशेष अनुदानित योजना के अर्न्तगत मिलने वाले

राशन का अभ्यर्पण करती हूँ/करता हूँ तथा भविष्य में भी इस बारे कोई दावा नहीं करेंगे। मेरे

इस निर्णय पर उक्त राशन कार्ड में वर्णित परिवार के सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं है।

(_____)
राशन कार्ड धारक/परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर.

स्थान: _____

आधार कार्ड न०

मोबाईल सं०

उचित मूल्य की दुकान का नाम व कोड संख्या

_____ कोड संख्या

Acknowledgement regarding surrender of subsidized Ration/Ration Card

Received application form for voluntarily surrendering subsidized Ration from Smt/Sh. _____

W/o D/o / S/o Sh/ _____ (Aadhaar Number

issued to Ration Card holders under Targeted Public Distribution System and State Special Subsidized Scheme.

Place: _____

Date:

Designation and Signatures of receiving Official

अनुदानित राशन स्वेच्छापूर्वक अभ्यर्ण आवेदन हेतु प्रक्रिया/दिशा-निर्देश :-

1. आवेदक को केवल विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन फार्म पर ही आवेदन करना होगा । यह आवेदन फार्म, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (निरीक्षक कार्यालय, जिला नियन्त्रक कार्यालय व निदेशालय, शिमला) तथा स्थानीय उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त यह फार्म विभागीय वेबसाईट <http://admis.hp.nic.in/ehimapurti/welcome.asp> तथा epds.co.in पर भी उपलब्ध है ।
2. आवेदन फार्म खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के किसी भी कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं । इसके अतिरिक्त आवेदन, स्थानीय ग्राम पंचायत कार्यालय व स्थानीय शहरी निकायों के कार्यालय में भी दिए जा सकते हैं । ग्राम पंचायत व स्थानीय शहरी निकाय इन आवेदनों को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निकटतम कार्यालय को सौंपेंगे । फार्म प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को फार्म प्राप्ति की रसीद / पावती आवेदक को देनी होगी ।
3. ईच्छुक आवेदक अनुदानित राशन अभ्यर्ण (Surrender/Giveup) करने हेतु विभागीय वेबसाईट epds.co.in पर भी आवेदन कर सकते हैं । ऑनलाईन आवेदनों पर क्षेत्रीय निरीक्षकों द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ।
4. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कार्यालय (सम्बन्धित जिला कार्यालय व निदेशालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शिमला) इन आवेदनों को सम्बन्धित निरीक्षक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले को राशन कार्ड ब्लॉक करने/राशन बन्द करने की कार्यवाही के आशय से भेजेगा ।
5. सम्बन्धित निरीक्षक द्वारा अनुदानित राशन बन्द करने की पुष्टि आवेदक व सम्बन्धित उचित मूल्य की दुकान को की जाएगी ।

D
20/10
(Joint Director FCS&C)